सप्तदश बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–04 बुधवार, दिनांक–29 जून, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:40 बजे अपराह्न तक।

[1] आसन का संदेश

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन से निम्न संदेश दिया गया –

लोकतंत्र के जिस पवित्र मंदिर में हम बैठे हैं, वह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा का मंच नहीं है, बल्कि 12 करोड़ जनमानस की इच्छाओं, भावनाओं और संभावनाओं का केन्द्र भी है। यह केवल विमर्श और विधान के निर्माण की जगह नहीं है, बल्कि उज्ज्वल भविष्य के संधान की पीठ भी है। यह आचरण, मर्यादा और कर्त्तव्यनिष्ठा को निर्धारित करने वाला न्यास भी है। शायद इसीलिए हमारी हर छोटी–बड़ी गतिविधियों पर देश और दुनिया की बारीक नजर होती है। हम जनमानस के असंतोष, हताशा और कुंठा के कारक के रूप में आलोचना और भर्त्सना के शिकार होते हैं, तो वहीं राज–समाज में जो कुछ बेहतर होता है, उस बेहतरी का सेहरा भी हमारे सिर पर बांधा जाता है। इसीलिए हम विधायक कहे जाते हैं यानी विधि के अनुरूप संमाचरण करने वाले। इसी भाव को व्यावहारिक रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने उत्कृष्ट विधायक के चयन के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के लिए अपनी सहमति दी थी।

यहाँ बैठे हम सभी लोग एक क्षेत्र–विशेष की जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारे अलग–अलग मत हैं, विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों से हमारी निष्ठायें जुड़ी हैं। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर हमारी पहचान इस महान सदन के अंग के रूप में है। जब भी इस गौरवशाली मंदिर की पवित्रता और शुचिता पर प्रश्न उठता है, तो हम सभी की व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिष्ठा पर आँच आती है। अतः हम सबको गंभीरता से यह विचार करना होगा कि बिहार विधान सभा के इस महान सदन से जुड़ने भर से हमें जो प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है, उसके बदले में हम यहाँ की विरासत में क्या योगदान कर रहे हैं? हमारे विचार से हम सभी में यह भाव और बोध हमेशा सजग रहे। हमें एक निश्चित मानदंड, सुस्थापित पद्धति और प्रक्रिया अपनाते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली के आधार पर अपने बीच से हर वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को सम्मानित करते हुए जनसामान्य के बीच अपनी विधायिका को प्रतिष्ठित करना है। वे उत्कृष्ट विधायक किसी भी क्षेत्र, पार्टी या वर्ग से हों, उनका सम्मान हो।

वे हमारी सामूहिक प्रतिष्ठा के वाहक के रूप में जनमानस में जाने जायें। इससे न केवल जनता का विश्वास इस महान सदन के प्रति बढ़ेगा, बल्कि राज–काज और राजनीति के प्रति उनकी उम्मीद और अभिरूचि जगेगी। शासन–प्रशासन में होने वाले विचलन पर रोक लगेगी, भय–भूख और भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक सकारात्मक माहौल बनेगा। हर प्रकार की निरंकुशता और अराजकता से मुक्त होने की जनआकांक्षाओं को बल मिलेगा।

आप सभी से यह आग्रह है कि नीति, निर्णय और नैतिकता के केन्द्र बिन्दु इस महान सदन को हम अपनी तात्कालिक उपलब्धियों का साधन न बनने दें, विरोध और भर्त्सना के अखाड़े में न तब्दील होने दें। हमें यह याद रखना होगा कि इस सदन के भीतर हमारे हर छोटी–बड़ी गतिविधि इतिहास और संदर्भ का विषय बनती है। यदि हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण चाहते हैं तो इस गौरवशाली सदन के इतिहास में किसी भी प्रकार के अप्रिय अध्याय को जोड़ने के प्रयास से बचना होगा। हमें यह सोचकर आगे बढ़ना होगा कि –

"वक्त ने माना हमारे बीच रख दीं दूरियाँ,
कोशिशें ये हों, दिलों में रास्ता जिंदा रहे।।
"प्यार से सुलझाइयें, हल गुत्थियाँ हो जायेंगी,
जब तलक हम हैं, ये फलसफा जिंदा रहे।।
हमारी कविता, हमारे दोहें, गीत हमारे और गजल
हम रहें या ना रहें, हमारा कहा सदा जिंदा रहे।।

तदुपरान्त आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि बेतिया जिला के विभिन्न स्कूलों के बच्चे सदन की कार्यवाही देखने के लिए आज उपस्थित हैं।

[2] <u>प्रश्नकाल</u> :–

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 06 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iii) 14 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 21 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) 169 तारांकित प्रश्न अनागत।

आज के लिए सूचीबद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन माध्यम से शत–प्रतिशत प्राप्त होने पर आसन द्वारा सरकार की सजगता पर सरकार को धन्यवाद दिया गया।

प्रश्नकाल के दौरान आसन द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्य प्रश्न पूछते समय यह कह देते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है यह उचित नहीं है। माननीय सदस्य पूरी प्रमाणिकता और गंभीरता के साथ इस शब्द का प्रयोग करें तभी इस शब्द की गंभीरता बनेगी। आसन भी गंभीरता से लेगी।

[3] <u>अन्य चर्चा</u> :–

प्रश्नकाल के दौरान आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया कि वह सदन में आकर अतिमहत्वपूर्ण प्रश्नकाल में भाग लें। साथ ही, सभी दलीय नेताओं से करबद्ध आग्रह किया कि माननीय सदस्यों की सदन में शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि संसदीय जनतंत्र में जब तक आसन के साथ–साथ सभी माननीय सदस्य संसदीय मूल्यों को सम्वर्द्धित और संरक्षित करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे जनतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होगा और यह भविष्य में भी जनतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। संसदीय जनतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही सदन की खूबसूरती बढ़ाते हैं।

सदन के नियमावली में, जो बात प्रतिबंधित है, उन बातों पर जोड़ देकर सदन से अनुपस्थित रहकर सरकार को अधूरेपन का अहसास कराना उचित नहीं है। सदन की प्रक्रिया निर्धारित है और सभी नियम से बंधे हैं और हर–एक को नियम का पालन करना चाहिए। जब तक सभी मिलकर नियम का पालन नहीं करेंगे तब तक न सदन की खूबसूरती बढ़ेगी और न ही मर्यादा बढ़ेगी। इसलिए आसन के आग्रह के साथ सरकार और सत्ता पक्ष के आग्रह को भी जोड़ते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वह सदन में आयें।

तत्पश्चात् माननीय उपमुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कहा गया कि बिहार विधान मंडल बिहार की पूरी जनता को प्रतिबिम्बित करता है। सरकार और माननीय सदस्यों का दायित्व और प्रतिबद्धता बिहार की जनता के प्रति है। विपक्ष सरकार के आईने के रूप में रहता है, जो सरकार की कमियों को सदन के माध्यम से सामने लाता है। आसन के माध्यम से पूरे सदन की ओर से आग्रह है कि विपक्ष के हमारे साथी सदन में आयें तथा सदन के विमर्श में हिस्सा बनें।

तदुपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि बिहार में जन समस्याओं के समाधान एवं इससे संबंधित नीति निर्माण के संदर्भ में यह सदन सार्थक विमर्श के लिए सबसे बड़ी संस्था है। सदन में अपनी बात नियमानुसार रखने एवं सकारात्मक सुझाव देने से सभी समस्याओं का समाधान संभव है।

बिहार की करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह होगा कि जनहित में सभी को सदन में आकर अपनी बात बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन

नियमावली के नियमों के तहत अपनी बात रखनी चाहिए और सबको बिहार के विकास में अपनी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

[4] कार्यस्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

[5] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :–

(i)	श्री अरूण शंकर प्रसाद	(ii)	श्री ललन कुमार
(iii)	डॉ० निक्की हेम्ब्रम	(iv)	श्री विद्या सागर केशरी
(v)	श्री कुंदन कुमार	(vi)	श्री मुरारी मोहन झा
(vii)	श्री ललित नारायण मंडल	(viii)	सुश्री श्रेयसी सिंह
(ix)	श्रीमती शालिनी मिश्रा	(x)	श्री राम चन्द्र प्रसाद
(xi)	श्रीमती रश्मि वर्मा	(xii)	श्री पवन कुमार यादव

तदुपरांत आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री जनक सिंह एवं श्री कुमार शैलेन्द्र ने अपनी सूचना को पढ़ा।

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह की सूचना पर माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री जिवेश कुमार ने कहा कि मुम्बई में इमारत ढहने से बिहार के मजदूरों की मौत की सूचना बिहार सरकार को प्राप्त है और विभागीय अधिकारी लगातार वहाँ से सम्पर्क में हैं। नियमानुसार जितनी सुविधा होगी सभी पीड़ित परिवार को प्रदान की जायेगी।

[6] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री बीरेन्द्र सिंह का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

आसन द्वारा कहा गया कि जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है । इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें हल जरूर निकल जायेगा ।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि कितनी भी परेशानी आये तो शांत रहिये, संतुलित रहिये, संयमित रहिये और सबसे आगे प्रसन्न रहिये, सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और कहा जाता है कि

"जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दूरियां मिटाते रहो"

इस पर आसन द्वारा कहा गया कि

"जिंदगी हर कदम पर नये रंग दिखाने लगी है,
वह जो मेरे हर राज के राजदार थे,
वह अब हमसे अपनी बात छुपाने लगे हैं ।
सोच रहे थे कि क्या खता हुई हमसे, जो हमको दूर करना चाहते हैं,
आज पता चला कि कोई और उनके करीब आने लगे हैं ।"

(ii) माननीय सदस्य, श्री निरंजन कुमार मेहता एवं अन्य सभासदों का योजना एवं विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री निरंजन कुमार मेहता द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री से कहा गया कि सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे गंभीरता से ले।

[7] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

(i) माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम, 1981 की कंडिका 26(3) के तहत् "बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2022", "बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022" एवं "बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022" की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। यह 14 (चौदह) दिनों तक सदन पटल पर रखा रहेगा।

(ii) माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री दामोदर रावत द्वारा राजकीय आश्वासन समिति का लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित 320वाँ प्रतिवेदन एवं ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 322वाँ प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(iii) माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा प्राक्कलन समिति का 161वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.16 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[8] वित्तीय कार्य :–

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग (शिक्षा विभाग) पर वाद–विवाद एवं मतदानः–

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अखतरूल ईमान के अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद–विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लियाः–

i. श्री संजीव चौरसिया
ii. श्री ललित नारायण मंडल
iii. श्री कुमार शैलेन्द्र
iv. श्री पंकज कुमार मिश्रा
v. श्री रत्नेश सादा

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया)

vi. श्री राज कुमार सिंह
vii. श्री अनिल कुमार
viii. श्री राम विलास कामत
ix. श्री राणा रणधीर
x. श्रीमती शालिनी मिश्रा
xi. श्री ललन कुमार

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया)

xii. श्री संजय कुमार सिंह
xiii. श्री विनय कुमार चौधरी
xiv. श्री विद्या सागर केशरी

आसन द्वारा निम्न भावना व्यक्त की गयी–

"रोने वाले महलों में भी रोते रहते हैं, किस्मत अच्छी रहती है, तो झोपड़ी में भी हँसी गूँजती है, पीपल के पेड़ के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, यही बिहार की धरती है।"

तदुपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि सदन में शिक्षा पर इतनी गंभीर चर्चा हुई और शिक्षा के प्रति सजगता भी सदन में दिखाई पड़ रही है। जो माननीय सदस्य इसमें भागीदारी कर रहे हैं उनको धन्यवाद देते हैं। जो भविष्य के प्रति बहुत सजग हैं, लोगों के कल्याण के प्रति चिंतित रहते हैं, उनकी सजगता दिख रही है।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अनुदान की मांग पर विपक्ष की अनुपस्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तथा बिहार में शिक्षा की महत्ता पर अपना पक्ष रखा।

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए गये कार्यों से विस्तारपूर्वक सदन को अवगत कराया गया।

तदुपरान्त शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् अनुदान की शेष मांगें बारी–बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ।

[9] विधायी कार्य :–

राजकीय वित्तीय विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2022

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी–बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

तदुपरांत बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2022 सदन से स्वीकृत हुआ।

[10] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 64 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक गुरूवार, दिनांक 30 जून, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–29.06.2022

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।